फार्म नं0 III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

अनवान बलवीरसिंह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र 136 एल.आर. एक्ट 1956** प्र0 सं0 01/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुई
2.1.24 [redacted] [redacted]	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई प्रार्थी बलवीरसिंह पुत्र श्री ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति कारीगर साकिन खोसेवाला ने प्रार्थना–पत्र धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थी के पिता ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह के नाम से भूमि वाके चक 79.200 आर डी एल तहसील सूरतगढ के प0न0 144/20 मु0न0 34 के किला नं0 1–10 ता 12, 16 ता 25/3.542 हे0 भूमि अन्तोदय अलोटी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें से प्रार्थी के पिता ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह का नाम जमाबन्दी सम्वत 2042 में सही अंकित किया गया। लेकिन उक्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2049 –2052 बनाते समय प्रार्थी के पिता का नाम ज्वालासिंह पुत्र श्री लाभूसिंह सहवन से दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त खाता में संशोधन कर प्रार्थी के पिता का नाम ज्वालासिंह पुत्र श्री लाभूसिंह के स्थान पर ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह अंकित करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना–पत्र जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ, भू–अभिलेख निरिक्षक एव हल्का पटवारी की रिपोर्ट श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी ने मूल आंवटन आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं जमाबन्दी सम्वत 2042की प्रमाणित प्रतिलिपी वाके चक 79.200 आर डी एल तहसील सूरतगढ के प0न0 144/20 मु0न0 34 के किला नं0 1–10 ता 12, 16 ता 25/3.542 हे0 पेश की जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह अंकित है।जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 एवं चालू जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 प्रार्थी ने पेश कि जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम ज्वालासिंह पुत्र श्री लाभूसिंह सहवन से दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया। जिसे दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया । प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न दस्तावेजो की तरफ ध्यानाकर्षण करते हुए प्रार्थी के पिता का नाम ज्वालासिंह पुत्र श्री लाभूसिंह के स्थान पर ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह संशोधन करने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राज्य पक्ष द्वारा जबाब मे संशोधन बाबत कोई आपति नही की गई है। प्रार्थना–पत्र के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर संशोधन का आदेश दिया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाके चक 79.200 आर डी एल तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सं0 90/80 के प0न0 144/20 मु0न0 34 के किला न0 1–10 ता 12, 16 ता 25/3.542 हे0 अन्त्योदय अलोटी में पिता का नाम ज्वालासिंह पुत्र श्री लाभूसिंह के स्थान पर ज्वालासिंह पुत्र श्री भागसिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। तहसीलदार को अमलदरामद हेतु आदेश पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ	11 03/01/2024